

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

द्वारा :-

*आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना-15, दिनांक- 22/3/2025.

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रुपये 300.00 लाख (रुपये तीन करोड़) के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड के उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करने एवं उत्पादों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की योजना के स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रुपये 300.00 लाख (रुपये तीन करोड़) के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड के उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करने एवं उत्पादों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की योजना के स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. कॉम्फेड के उत्पादों के निर्यात हेतु प्रयास किया जा रहा है एवं इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र ही आरंभ किया जायेगा। इसे गति देने एवं अन्य देशों में निर्यात हेतु राज्य सरकार का सहयोग आवश्यक है।
3. कॉम्फेड, पटना द्वारा निर्यात हेतु राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शनी एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में विज्ञापन ब्राण्डिंग कराया जाना है।
4. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कॉम्फेड के उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में वृद्धि करना, कॉम्फेड के उत्पादों को विश्व के बाजार में पहुँचाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना इत्यादि है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक है।
5. कॉम्फेड के उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किया जाना है।
6. इस योजना के तहत योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा।
7. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, गव्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

8. इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि निदेशक, गव्य द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी कर कॉम्पेड, पटना के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित किया जायेगा एवं स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से कॉम्पेड, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा।
9. सामान्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2404 -डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00 -लघु शीर्ष-102 -डेरी विकास परियोजनाएँ, उप शीर्ष-0115 -गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विषय शीर्ष-0115.31.05 -सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड 02-2404001020115 के तहत योजना उद्व्यय एवं तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त बजट उपबंधित राशि 300.00 लाख मात्र व्यय किया जायेगा।
10. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम०-04-15/2009-9736 वि०-2, दिनांक-19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
11. चूँकि यह योजना एक चालू योजना है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888, दिनांक-03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदया का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस० (6)04/2022 के पृष्ठ-17/टि० दिनांक-21.03.2025.
12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)04/2022 के पृष्ठ-17/टि० तथा डायरी सं०-शून्य, दिनांक-22.03.2025.
13. वित्त विभागीय पत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

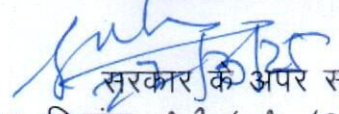
विश्वासभाजन

(गीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)04/2022- 1381 /पटना-15, दिनांक-22/3/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

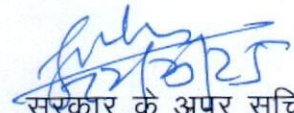
ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)04/2022- 1381 /पटना-15, दिनांक-22/3/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

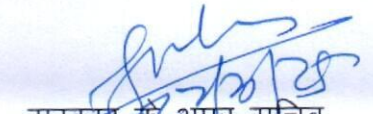
ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)04/2022- 1381 /पटना-15, दिनांक-22/3/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्पेड, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

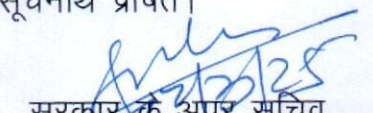
ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)04/2022- 1381 /पटना-15, दिनांक-22/3/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/ योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

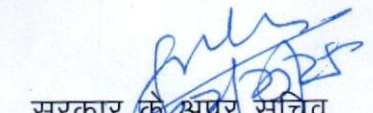
ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)04/2022- 1381 /पटना-15, दिनांक-22/3/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा-06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)04/2022- 1381 /पटना-15, दिनांक-22/3/2025.

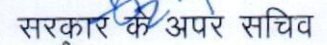
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)04/2022- 1381 /पटना-15, दिनांक-22/3/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव


सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल ₹ 300.00 लाख (रुपये तीन करोड़) के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्पेड के उत्पादों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करने की योजना का संभावित व्यय विवरणी।

(राशि रुपये लाख में)

क्र०	विपत्र कोड/विषय शीर्ष	योजना की विवरणी	इकाई	प्रति इकाई लागत	कुल लागत	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
1	विपत्र कोड 02-2404001020115, विषय शीर्ष 31-05 -सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण।	राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शनियों एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी	10	20	200	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना / प्राधिकृत पदाधिकारी।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
		विज्ञापन ब्राण्डिंग पर अनुदान रुपये 100 लाख प्रति वर्ष	1	100	100		
योग :-					300.00		

कुल रुपये (तीन करोड़) मात्र।

1381
22/3/25

सरकार के अपर सचिव

[Signature]